

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद रू Hyderabad- 500 052.

Inter Office Note

Sub : Notified Recruitment Rules for the post of Farrier- Reg.

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Farrier is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5/Farrier

Dated: 30.11.2018

Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of an examination at the degree level; or Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; (ii) Five years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions; or Five years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Government or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions. Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognized Board. Note 1: The departmental Assistant Director (Official Language) with five years regular service in grade will also be considered along with the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the date of receipt of applications).		
--	--	--

[F. No. 17/16/SSB/CSC/Area/Gp 'A'/2017/SFS]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 334.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (फैरियर) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में फैरियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, फ़ैरियर भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु, सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती को पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फ़ैरियर	02* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' गैर राजपत्रित, अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 1 (रु. 18,000—56,900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण-1 — आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अन्य राज्यों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य	आवश्यक — (क) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। (ख) किसी प्रसिद्ध अश्व रेस क्लब या वोकेशनल इंस्टिट्यूट से घोड़ा अस्तबल प्रबंधन यानि घोड़ों तथा अस्तबल की मरम्मत और रख-रखाव में एक वर्ष अनुभव का प्रमाण पत्र। (ग) किसी प्रसिद्ध अश्व रेस क्लब या

				का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	वोकेशनल इंस्टिट्यूट से घोड़े की नाल को ठीक करने के बारे में व्यावसायिक प्रमाण पत्र।
				टिप्पण 2 — रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	वांछनीय: घुड़सवारी में अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	02 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका परिमाण क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह — 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप निदेशक — अध्यक्ष 2. पशु चिकित्सा अधिकारी — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 या ग्रेड 3 — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/19/2018—पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 16th October, 2018

G.S.R. 334.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, (Farriers) Recruitment Rules, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Farrier in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :—

- Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Farrier Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix -The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. Disqualification. - No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Farrier	2* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56900/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union territory of Lakshadweep.	Essential: (a). Matriculation or 10th Class pass from any Government recognised board. (b). A certificate of one year experience in horse stable management i.e. upkeep and maintenance of horses and stable, from any prominent horse race club or vocational institute. (c). A trade certificate in fixing of horse shoes from any prominent horse race club or vocational institute. Desirable: Experience in horse riding.

Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (i) Deputy Director —Chairman; (ii) Veterinary Officer —Member; (iii) Administrative Officer Grade II or Grade- III — Member;	Not applicable.

[F. No. 23011/19/2018-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 335.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (मोची) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में मोची के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, मोची, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :